



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्या:-(0755)2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक /554/परीक्षा समन्वय /2017

दिनांक - 26 / 12 / 2017

//आदेश//

मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2018 एवं आगामी समस्त परीक्षाओं के परीक्षा संचालन एवं व्यवस्था के लिए पी. ओ. एल. एवं केन्द्र निरीक्षण में परिवहन की व्यवस्था के लिए निम्नानुसार राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	परीक्षा व्यवस्था	स्वीकृत राशि
1	जिला कलेक्टरों को प्रदत्त राशि अ-परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु प्रदत्त पी.ओ.एल. राशि ब-प्रश्नपत्र समन्वयक केन्द्रों से थानों में सुरक्षित रखवाने हेतु परिवहन राशि	₹450/- ₹400/-
2	जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति विभाग (आदिवासी जिलों में) को प्रति परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु प्रदत्त पीओएल राशि	₹400/-
3	मण्डल सदस्य परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण हेतु प्रदत्त पीओएल राशि प्रति परीक्षा केन्द्र/दिवस के लिये मानदेय (कम से कम 3 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेत)	₹9/-प्रति किमी ₹400/-प्रतिदिवस
4	आंचलिक/संभागीय अधिकारी मुख्य विषयों में निरीक्षण हेतु प्रदत्त पीओएल राशि मण्डल वाहन/ किराया वाहन	₹20,000/-
5	संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा को प्रदत्त राशि। मुख्य विषयों में निरीक्षण हेतु प्रदत्त पीओएल राशि।	₹30,000/-
6	मण्डल मुख्यालय स्तर के उडन दस्तों हेतु किराये के वाहन लेने पर एम पी स्टेट टूरिज्म डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकृत दर अनुसार इंडिका नान एसी इंडिका एसी(एमपी स्टेट टूरिज्म की स्वीकृत दरों अनुसार देय होगा)	₹9/-प्रति किमी
7	प्रत्येक जिला समन्वयक संस्था हेतु प्रदत्त राशि। परीक्षा संचालन में विभिन्न सामग्री के वितरण एवं संग्रहण हेतु प्रति परीक्षाकेन्द्र हेतु आकस्मिक व्यय	₹250/-
8	संबंधित केन्द्राध्यक्ष को प्रदत्त राशि। (अ) संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त प्रेक्षक को प्रतिदिन हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा के मुख्य पांच विषयों के लिये कुल 10 दिवस का प्रति दिवस ₹800/- (ब) मुख्य विषयों की परीक्षा के लिये संवेदनशील/अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर 1-4 की गार्ड तथा सामान्य दिनों के लिये न्यूनतम आवश्यक बल लगाया जाय। इस हेतु प्रतिदिन ₹150/- प्रति होमगार्ड/प्रति सैनिक को कुल 10 दिवसों के लिये प्रदत्त राशि।	₹6000/-प्रति प्रेक्षक ₹1500/-प्रति गार्ड
9	थानों से प्रश्न-पत्र निकालते समय कलेक्टर प्रतिनिधियों को मानदेय (प्रति थाना प्रति प्रतिनिधि)	₹50/- प्रतिदिवस
10	कलेक्टर/अन्य अधिकारियों द्वारा गठित निरीक्षण दलों के लिये मानदेय	₹50/- प्रति केन्द्र

2. सत्र 2017-18 से मण्डल के आदेश क्रमांक/गोप./2038/2017 दिनांक 25.03.2017 के अनुसार देय परीक्षा केन्द्र नैमित्तिक व्यय राशि का उपयोग-

क्र.	मण्डल परीक्षाओं हेतु	स्वीकृत नैमित्तिक की दर	स्वीकृत नैमित्तिक राशि का उपयोग
1	मण्डल परीक्षाओं हेतु प्रदाय नैमित्तिक राशि	प्रति परीक्षा केन्द्र 300 छात्र संख्या तक ₹5000/- 300 से अधिक छात्र संख्या तक ₹10000/-	मण्डल के आदेश क्र. 2083/गो./2017 दिनांक 25.03.2017 के अनुसार परीक्षा केन्द्र पर स्वीकृत नैमित्तिक व्यय राशि का उपयोग मुख्य एवं पूरक परीक्षा में प्रश्न-पत्र थाने से लाने, अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका संकलन संस्था या थाने में जमा करने का स्टेट टूरिज्म डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकृत न्यूनतम दर अनुसार यात्रा व्यय एवं नैमित्तिक व्यय जिसमें परीक्षा केन्द्र पर स्टेशनरी के सामान जिसमें चपड़ी, मोमबत्ती फोटो कॉपी, कपड़ा एवं परीक्षा हेतु अन्य उपयुक्त सामग्री व आवश्यक कार्य हेतु व्यय कर सकेंगे।

यह आदेश अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा ।

21/12
सचिव


माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

//2//

पृष्ठांकन क्रमांक / 555 / परीक्षा समन्वय / 2017
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 26/12/2017

1. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति विभाग, मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य जिला समन्वयक संस्था, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित केन्द्राध्यक्ष, मण्डल परीक्षाओं की ओर प्रेषित करते हुए लिखा जाता है कि उक्त बिन्दु क्र-8 की राशि परीक्षा समाप्ति उपरांत ड्यूटी प्रमाणित होने पर प्रेक्षक को किया जाकर पावती वित्ताधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल को प्रेषित करेंगे।
5. अपर संचालक (वित्त)/वित्ताधिकारी/लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की ओर लिखा जाता है कि उक्तानुसार जिलेवार गणना कर राशि उपलब्ध करायें।
6. पंजीयक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त सहायक सचिव/कक्षाधिकारी परीक्षा कक्ष/गोपनीय कक्ष, मा.शि.मंडल मध्यप्रदेश।
9. माननीय मण्डल सदस्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
10. नि.स.- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, अतिरिक्त सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव मा.शि.मंडल मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल